अनुदान संख्या 106 - युवा मामले और खेल मंत्रालय
GRANT No. 106 – MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत -	Voted –					
मूल	Original	1116,98,00		1117,01,00	984,71,36	-132,29,64
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					126,04,50
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत -	Voted-			4,02,00	1,14,70	-2,87,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,97,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2204"	Major Head "2204"					
खेलकूद और युवा सेवाएं	Sports and Youth Services					
मू.	O.	77923.00				
पू.	S.	2.00		76095.99	75711.55	-384.44
पु.	R.	-1829.01				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"					
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas					
मू.	O.	10550.00		101.22	..	-101.22
पु.	R.	-10448.78				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	21726.00			
पू.	S.	1.00	21117.29	21006.53	-110.76
पु.	R.	-609.71			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	47.00			
			390.00	387.19	-2.81
पु.	R.	343.00			

(I) ₹10631.00 लाख का प्रावधान अठारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹10450.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "खेलकूद और युवा सेवाएं - निदेशन और प्रशासन - नेहरू युवा केन्द्र संगठन" - ₹1110.00 लाख;

(खा) "खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" -

(क) "राष्ट्रीय सेवा स्कीम" - ₹900.00 लाख;

(ख) "युवाओं और किशोरों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" - ₹250.00 लाख;

(I) Provision of ₹10631.00 lakhs remained wholly unutilized under eighteen heads; of these ₹10450.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" under the following heads:-

(A) "Sports and Youth Services – Direction and Administration – Nehru Yuva Kendra Sangathan"- ₹1110.00 lakhs;

(B) "Sports and Youth Services – Youth Welfare Programme for Students"-

(a) "National Service Scheme" - ₹900.00 lakhs;

(b) "National Programme for Youth and Adolescent Development"- ₹250.00 lakhs;

(ग) ''राष्ट्रीय युवा कोर (पहले एनवीएस)'' - ₹580.00 लाख;

(गा) ''युवा और खेल सेवाएं - गैर छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान'' - ₹110.00 लाख;

(घा) ''खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल'' -

(क) ''भारतीय खेल प्राधिकरण'' - ₹1500.00 लाख;

(ख) ''खेलकूद उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए सहायता'' ₹200.00 लाख;

(ग) ''लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान'' - ₹1500.00 लाख;

(घ) ''पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान'' - ₹2000.00 लाख; और

(ङ) ''शहरी खेलकूद अवसंरचना (पहले नगर पालिका युवा क्रीड़ा और खेल अभियान)'' - ₹1500.00 लाख।

उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(च) ''राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि'' - ₹500.00 लाख; और

(छ) ''राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला'' - ₹300.00 लाख ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर राज्यों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा ।

(c) "National Youth Corps (erstwhile NVS)"- ₹580.00 lakhs;

(C) "Sports and Youth Services-Youth Welfare Programme for Non Students - Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development"- ₹110.00 lakhs;

(D) "Sports and Youth Services – Sports and Games"-

(a) "Sports Authority of India"- ₹1500.00 lakhs;

(b) "Assistance to Promotion of Sports Excellence" - ₹200.00 lakhs;

(c) "Laxmibai National Institute of Physical Education"- ₹1500.00 lakhs;

(d) "Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan (PYKKA)"- ₹2000.00 lakhs; and

(e) "Urban Sports Infrastructure (erstwhile NYKKA)"- ₹1500.00 lakhs.

Provisions under the above ten heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(f) "National Sports Development Funds"- ₹500.00 lakhs; and

(g) "National Dope Test Laboratory"- ₹300.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-receipt of viable proposals from North Eastern States.

(II) मुख्य शीर्ष "2204" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" -

(क) "पुनर्अभिविन्यास और अनुसंधान केन्द्र" - ₹529.47 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय सेवा स्कीमों के स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त मनोनयन को चुनने में हुए विलम्ब के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय सेवा स्कीम" - ₹137.00 लाख की बचत (₹480.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न केन्द्रों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) "युवाओं और किशोरों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" - ₹193.39 लाख की बचत (₹2070.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न संगठनों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने और उपयोग प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "खेलकूद और खेल" -

(क) "राष्ट्रीय खेलकूद कल्याण निधि" - ₹105.00 लाख की बचत (₹140.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "खेलकूद उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए सहायता" - ₹619.27 लाख की बचत (₹10800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय खेल परिसंघों और भारतीय खेल प्राधिकरण से उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) "डोपिंग रोधी क्रियाकलाप" - ₹1100.00 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डोपिंग रोधी अभिकरणों द्वारा कम मांग किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2204"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Youth Welfare Programmes for Students" –

(a) "Reorientation and Research Centre (NSS)"- saving of ₹529.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to delay in selecting additional empanelment of training institutes for the National Service Schemes volunteers.

(b) "National Service Scheme"- saving of ₹137.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹480.00 lakhs) was due to non- receipt of viable proposals from various centres.

(c) "National Programme for Youth Development and Adolescent"- saving of ₹193.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2070.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from various organizations and non-submission of utilization certificates.

(B) "Sports and Games"-

(a) "National Sports Welfare Fund"- saving of ₹105.00 lakhs (against the sanctioned provision ₹140.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals under the scheme.

(b) "Assistance to Promotion of Sports Excellence"- saving of ₹619.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10800.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates from the National Sports Federations and Sports Authority of India.

(c) "Anti-Doping Activities"- saving of ₹1100.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was due to less demand by Anti Doping Agencies.

(घ) ''पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान'' - ₹4653.54 लाख की बचत (₹10500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान/कार्यान्वयन अभिकरणों से उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''योजनेतर अनुदान - खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय सेवा स्कीम'' - ₹144.12 लाख की बचत (₹231.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य संपर्क अधिकारियों द्वारा लेखे प्रस्तुत न किए जाने की वजह से प्रतिपूर्ति के लिए कम दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) ''खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय युवा कोर (पहले एन वी एस)'' - ₹101.00 लाख की बचत (₹1744.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक'' -

(i) ''खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम'' - ₹972.41 लाख की बचत (₹1836.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा स्कीम स्वयंसेवकों की नई भर्ती किए जाने में हुए विलम्ब के कारण हुई।

(ii) ''खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल'' - ₹2312.00 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत

(d) "Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan (PYKKA)"- saving of ₹4653.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10500.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates from Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan/implementing agencies of the State Governments/UTs Administration.

(III) "Under Major Head "3601"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Non-Plan Grants - Sports and Youth Services – Youth Welfare Programmes for Students - National Service Scheme"- saving of ₹144.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹231.00 lakhs) was due to receipt of less claims for reimbursement owing to non-submission of accounts by the State Liaison Officers.

(B) "Grants for Central Plan Schemes"-

(a) "Sports and Youth Services – Youth Welfare Programmes for Students – National Youth Corps (esrstwhile NVS)"- saving of ₹101.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1744.00 lakhs) was due to non-submission of utilization certificates by the implementing agency.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(i) "Sports and Youth Services-Youth Welfare Programme for students"- saving of ₹972.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1836.00 lakhs) was due to delay in fresh enrollment of National Service Scheme volunteers under special component for scheduled caste.

(ii) "Sports and Youth Services-Sports and Games"- saving of ₹2312.00 lakhs (against

प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई ।

the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from the State Governments.

(ग) ''जनजाति क्षेत्र उप योजना'' -

(i) ''खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम'' - ₹499.96 लाख की बचत (₹954.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसूचित जनजाति उप योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा स्कीम स्वयंसेवकों की भर्ती किए जाने में हुए विलंब के कारण हुई ।

(ii) ''खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल'' - ₹700.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पंचायत युवा क्रीडा केन्द्र और खेल अभियान /राज्य सरकारों की कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(c) "Tribal Area Sub Plan"-

(i) "Sports and Youth Services -Youth Welfare Programme for students"- saving of ₹499.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹954.00 lakhs) was due to delay in enrollment of National Service Scheme volunteers under Scheduled Tribe Sub Plan.

(ii) "Sports and Youth Services - Sports and Games"- saving of ₹700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates from Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan (PYKKA)/implementing agencies of the State Governments.

(IV) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹208.01 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 50 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक थीं।

(IV) Under three heads savings of ₹208.01 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 50 percent to 55 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹5291.31 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (₹5291.31 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in November, 2011 and March, 2012 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2204'' -

(क) ''गैर छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को अनुदान'' - ₹1110.00 लाख ।

(ख) ''खेलकूद और खेल - खिलाड़ियों को प्रोत्साहन'' - ₹926.50 लाख । तथापि, वास्तविक आधिक व्यय ₹925.80 लाख था ।

(A) Major Head "2204" -

(a) "Youth Welfare Programmes for Non Students - Grants to Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development"- ₹1110.00 lakhs.

(b) "Sports and Games - Incentive to Sports Persons"- ₹926.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹925.80 lakhs.

(ग) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा प्रतिनिधि मंडल का आदान-प्रदान" - ₹387.00 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹385.72 लाख था ।

(c) "International Cooperation - Exchange of Delegation of Youth at International level" - ₹387.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹385.72 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल - पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान" - ₹2867.81 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2866.52 लाख था ।

(B) Major Head "3601" -"Grants for Central Plan Schemes - Sports and Youth Services - Sports and Games - Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan (PYKKA)"- ₹2867.81 lakhs. Actual excess, however, was ₹ 2866.52 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2204" -

(A) Major Head "2204" -

(क) "निदेशन और प्रशासन" -

(a) "Direction and Administration" –

(i) "नेहरू युवा केन्द्र संगठन" - ₹1110.00 लाख का अधिक व्यय (₹12240.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(i) "Nehru Yuva Kendra Sangathan" - excess of ₹1110.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12240.00 lakhs);

(ii) "शारीरिक शिक्षा - लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर" - ₹924.00 लाख का अधिक व्यय (₹2463.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) "Physical Education – Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior"- excess of ₹924.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2463.00 lakhs);

(ख) "गैर-छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय युवा कोर" - ₹299.60 लाख का अधिक व्यय (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(b) "Youth Welfare Programmes for Non-Students - National Youth Corps"- excess of ₹299.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs);

(ग) "खेलकूद और खेल" -

(c) "Sports and Games"-

(i) "भारतीय खेल प्राधिकरण" - ₹327.00 लाख का अधिक व्यय (₹28780.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(i) "Sports Authority of India"- excess of ₹327.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28780.00 lakhs);

(ii) "शहरी खेलकूद अवसंरचना (पहले नगरपालिका युवा क्रीड़ा और खेल अभियान)" - ₹450.00 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) "Urban Sports Infrastructure (erstwhile NYKKA)"- excess of ₹450.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs);

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय योजना स्कीमों को अनुदान"-

(क) "खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय सेवा स्कीम" - ₹486.52 लाख का अधिक व्यय (₹3966.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "खेलकूद और युवा सेवाएं - गैर छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - युवाओं और किशोरों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" - ₹141.98 लाख का अधिक व्यय (₹180.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ग) "खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल - शहरी खेलकूद अवसंरचना (पहले नगरपालिका युवा क्रीड़ा और खेल अभियान)" - ₹547.00 लाख का अधिक व्यय (₹1499.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" - "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल - शहरी खेलकूद अवसंरचना स्कीम" - ₹353.00 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शहरी खेलकूद अवसंरचना स्कीम के लिए पुदुचेरी सरकार द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

(B) "Major Head "3601"- "Grants for Central Plan Schemes"-

(a) "Sports and Youth Services - Youth Welfare Programmes for Students - National Service Scheme"- excess of ₹486.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3966.00 lakhs);

(b) "Sports and Youth Services - Youth Welfare Programme for Non-Students - National Programme for Youth and Adolescent Development"- excess of ₹141.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹180.00 lakhs); and

(c) "Sports and Youth Services - Sports and Games - Urban Sports Infrastructure (erstwhile NYKKA)"- excess of ₹547.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1499.00 lakhs).

Excess under the above eight heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) Major Head "3602"- "Grants for Central Plan Schemes- Sports and Youth Services-Sports and Games- Urban Sports Infrastructure Scheme"- excess of ₹353.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh) was due to requirement of additional funds towards Urban Sports Infrastructure Scheme by the Government of Puducherry.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture					
मू.	O.	351.00				
				155.00	114.70	-40.30
पु.	R.	-196.00				

(I) ₹52.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा ।

(II) "खेलकूद और युवा सेवाएं - युवा छात्रावास - केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/अन्य अभिकरणों को भुगतान" के अंतर्गत ₹235.30 लाख की बचत (₹350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) युवा छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई ।

(I) Provision of ₹52.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads.

(II) Under "Sports and Youth Services –Youth Hostels - Payment to CPWD/ Other agencies"- saving of ₹235.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹350.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from State Governments for construction of Youth Hostels.